माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र.क्र. / / /16 निगरानी

1. हरविलास पुत्र श्री स्व. श्री ठाकुरलाल धाकड़ आयु 78 वर्ष
2. रामनरेश पुत्र श्री हरविलास धाकड़ आयु 45 वर्ष
3. सुमरन पुत्र श्री हरविलास धाकड़ आयु 40 वर्ष
4. संजीव पुत्र श्री हरविलास धाकड़ आयु 35 वर्ष

समस्त व्यवसास खेती समस्त निवासीगण ग्राम सिरसौंद थाना सिरसौंद तहसील व जिला शिवपुरी म.प्र .....आवेदकगण

बनाम

श्रीमती गुलाबाई पत्नी श्री शंकरलाल शर्मा आयु 65 वर्ष व्यवसाय गृहकार्य निवासी ग्राम सिरसौंद हाल निवास कस्टम गेट के पास सदर बाजार शिवपुरी म.प्र. .....अनावेदिका

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 25.07.2016 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के प्रकरण क्र. 60/2015-16 अपील से असंतुष्ट होकर

श्रीमान महोदय,

माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदक की निगरानी निम्न आधारों पर पेश है:-

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि. न्यायालय तहसीलदार शिवपुरी के समक्ष अनावेदिका गुलाबवाई द्वारा एक आवेदन धारा 250 म.प्र.भू.राजस्व संहिता का आवेदकगण हरविलास, रामनरेश, सुमरन, राजीव धाकड़ के विरुद्ध ग्राम सिरसौद पटवारी हल्का न. 46 में स्थित भूमि सर्वे न. 359 रकवा 1.190 हैक्टर एवं भूमि सर्वे न. 424 रकवा 1.84

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2684–दो/16 जिला –शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7/4/17	उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्कों पर विचार किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के प्रकरण कमांक 60/2015–16/अपील में पारित आदेश दिनांक 25.7.16 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि श्रीमती गुलाब बाई का स्थित ग्राम सिरसोद में पटवारी हल्का 45 में सर्वे कमांक 359 रकवा 1.190 है0 सर्वे कमांक 424 रकवा 1.84 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 3.030 है0 में से हिस्सा 2/3 जिसका रकवा 2.020 है0 होता है उक्ता भूमि को आवेदक कमांक 1 जर्ये रजिस्टर विकय पत्र दिनांक 25.5.99 एवं 9.6.97 को कय करते हुये विकय पत्र के आधार पर कृषि कार्य करते चले आ रहे थे। आवेदकगण द्वारा जबरजस्ती फसल की बुबाई कर दी जिसके उपरांत अनावेदिका द्वारा विधिवत सीमांकन कराया गया । अनावेदिका द्वारा धारा 250 का एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका प्रकरण कमांक 4/अ–70/2015–16 पर दर्ज कर दिनांक 5.1.16 से अनावेदिका का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। अनावेदिका ने जिसके विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका प्रकरण कमांक 60/15–16/अपील पर दर्ज करते हुये	

दिनांक 25.7.2016 को अनावेदका गुलाब बाई की अपील स्वीकार कर दिनांक 5.1.16 का आदेश निरस्त कर तहसीलदार को निर्देश दिया गया कि किसी भी भूमि पर अवैध कब्जा होने से भूमि स्वामी को कब्जा दिलाया जाये किन्तु उसके विरूद्व आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी राजस्व अभिलेख एवं प्रस्तुत दस्तावेजों को बिना देखे ही विधि के विपरीत जो आदेश पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में आगे कहा है कि अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के समक्ष प्रथम अपील गुलाब बाई द्वारा अनावेदकों के विरूद्व प्रस्तुत की गई थी उक्त अपील में स्पष्ट उल्लेख था कि वादग्रस्त भूमि सर्वे न0 359, 424 कुल रकवा 3.030 है0 में हिस्सा 2/3 रकवा 2.020 है0 आवेदकगण व गुलाब बाई के नाम सहखातेदार के रूप में उल्लेखित है । सहखातेदारों के मध्य बंटवारा आवेदन निरस्त हो चुका है । उनके द्वारा अपनी बहस में यह भी उल्लेख किया गया है कि भू–राजस्व संहिता की धारा 44 के अंतर्गत संसोधन के अंतर्गत प्रथम अपीलीय न्यायालय को प्रथम अपील को प्रत्यावर्तित करने का अधिकार नहीं है एवं धारा 49 (3) भू–राजस्व संसोधन अधिनियम 2011 में हुये संसोधन अनुसार प्रकरण को प्रत्यावर्तित या वापस करने के अधिकार समाप्त कर दिये गये हैं के उपरांत अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण द्वारा वापस किये जाने में विधि की अवहेलना की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदकगण की निगरानी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

4– अनावेदिका के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अनावेदिका गुलाब बाई द्वारा विकय पत्र के आधार पर नामान्तरण होकर राजस्व अभिलेख में नाम अंकित है उक्त भूमि बंटवारे में पूरी हिस्से की भूमि प्राप्त हुई। इस कारण काविज हो कर भूमि स्वामी हैं परंतु आवेदकगण द्वारा दिनांक 20.7.15 को अवैध कब्जा कर फसल की बुबाई कर दी गई। उस समय कब्जा वापिस देने में आनाकानी करते हैं केवल अवैध कब्जा करने से स्वत्व प्राप्त नहीं होता इसे सिविल न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 8.1.16 से यह सिद्व कर दिया गया है कि आवेदक का अवैध कब्जा है। अन्नावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में आगे कहा है कि अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी द्वारा दिनांक 25.7.16 से आदेश पारित कर अनावेदिका की अपील स्वीकार की गई है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदकगण की निगरानी अग्राह की जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये तथा उनके द्वारा प्रस्तुत एक दूसरे के जबाव को अवलोकन किया गया। प्रकरण में संलग्न दस्तावजों का परिशीलन किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया गया कि यह सावित है कि ग्राम सिरसौद स्थित विवादित भूमि सर्वे कमांक 359, 424 किता 2 कुल रकवा 3.030 है0 में से हिस्सा 2/3 रकवा 2.020 है0 भूमि शासकीय अभिलेख में अनावेदिका श्रीमती गुलाब बाई पत्नी शंकरलाल शर्मा के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि माननीय सिविल न्यायालय में प्रचलित प्रकरण कमांक 60ए/15 ई0दी0 में निर्णय दिनांक 8.1.16 से आवेदकगणों का बाद निरस्त कर

दिया गया है। इसी प्रकार माननीय सिविल न्यायालय द्वारा हरविलास धाकड का दावा प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं माना है और उसे निरस्त किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी का आदेश विधि प्रावधानों से उचित प्रतीत होता है जिसे तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी का प्रकरण कमांक 60/2015—16/अपील में पारित आदेश दिनांक 25.7.16 विधि प्रावधानों से उचित है। उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्यों कि मान0 व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है। परिणामस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी का आदेश दिनांक 25.7.16 स्थिर रखा जाता है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से अग्राह की जाती है। आवेदकगण चाहे तो सक्षम न्यायालय में जाने के लिये स्वतंत्र है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हो।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य